संख्या-04 /2021/737/22-4-2020-48(9)/19

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 19 जनवरी, 2021

विषय- प्रदेश की 05 कारागारों क्रमशः जिला कारागार लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आजमगढ, चित्रकूट तथा केन्द्रीय कारागार बरेली में सुरक्षा उपायों का उन्नयन कर उच्च सुरक्षा कारागार बनाये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-20633/आधु0-2/05 जेल/2020, दिनांक 20 अगस्त, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया प्रदेश की 05 कारागारों क्रमशः जिला कारागार लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आजमगढ, चित्रकूट तथा केन्द्रीय कारागार बरेली में सुरक्षा उपायों का उन्नयन कर उच्च सुरक्षा कारागार बनाये जाने के लिए आवश्यक निर्माण कराये जाने तथा उपकरणों एवं मशीनों की व्यवस्था निम्न विवरणानुसार किये जाने हेतु रू0 20,35,00,000/-(रूपया बीस करोड. पैंतिस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रूपया लाख में)

क्र0	**उपकरण/कार्यो का नाम**	**सख्ंया**	**लागत प्रति**	**प्रस्तावित लागत**
1	नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर (एनएलजेडी)	05	19,09,240	95.46
2	डयूल स्केनर बैगेज	05	47,14,100	235.70
3	फुल हयूमेन बाडी स्कैनर	05	1,77,00,000	885.00
4	मुलाकात घर हेतु कान्टेक्ट लेस ग्लास	130	3,50,000	455.00
5	ड्रोन कैमरा	05	4,79,999	24.00
6	बाडी वार्न कैमरे	25	59,000	14.75
7	नाइट विजन बाइनाकुलर	05	3,97,000	19.85
8	उच्च क्षमता के हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर	25	24,000	6.00
9	कन्सरटीना फेन्सिंग	10039 मीटर	1,960 प्रति मीटर	196.76
10	हैवी डयूटी स्टैब्लाइजर सिस्टम	05	12,50,000	62.50
11	जिला कारागार लखनऊ में सी0सी0टी0 कैमरे तथा सहवर्ती उपकरणों की व्यवस्था	48 कैमरे	83,333.00	40.00
			योग	**2035.02**
				अर्थात् धनराशि रू0 2035-00 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रस्तर-2 की तालिका के क्रमांक-5,6,7,8 एवं 10 पर अंकित उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GEM) के माध्यम से किया जायेगा तथा क्रमांक-1,2,3,4,9 व 11 पर अंकित उपकरणों/ वस्तुओं/सामग्री का क्रय जैम पोर्टल पर उपलब्ध न होने की दशा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/ 2016, दिनांक-23-08-2017 की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत उपकरणों का क्रय नियमानुसार पूर्व में क्रय हेतु दिये गये सुसंगत निर्देशों के अनुक्रम में किया जाएगा।

(3) धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त उपकरण/सामग्री के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो। महानिरीक्षक कारागार यह सुनिश्चित कर लेंगे कि शासनादेश दिनांक 30-03-2020 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 20.3545 करोड. समर्पित की जा चुकी है।

(4) क्रय किये जाने वाले उपकरण की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/कारागार विभाग पूर्णत: संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप हो।

(5) उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य उपकरणों का क्रय न किया जाय।

(6) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च 2021 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त उपकरणों का क्रय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में निहित वित्तीय नियमों/निर्देशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त महानिरीक्षक कारागार उ0प्र0 द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-145/दस/2021, दिनांक-18 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-04/2021/737(1)/22-4-2020-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।